संख्याः– 30 /अड़तीस–9–13–500(17)/12

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उ0प्र0।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9

लखनऊ : दिनांक 12 फरवरी, 2013

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगो से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकांड व आसाध्य रोगों के चिकित्सीय उपचार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1)– विधान मण्डल के प्रत्येक मा0 सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकांड व आसाध्य रोगों से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों को जिनकी वार्षिक आय रू0 1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र) की सीमा तक है, को आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में "एकेडिटेड" सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उच्चस्तरीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव/संस्तुति कर सकते हैः–

पात्र व्यक्ति	धनराशि रू0 में।
दुर्घटना/अग्निकांड में साधारण रूप से घायल व्यक्ति या परिवार के सदस्य।	प्रत्येक व्यक्ति अनधिक रू0 10,000/–तक
दुर्घटना/अग्निकांड में गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति	प्रति व्यक्ति रू0 1,00,000/– तक
असाध्यरोगों (संलग्नक–1 के अनुसार) से पीड़ित व्यक्ति	प्रति व्यक्ति अनधिक रू0 5,00,000/–तक

पात्रता एवं धनराशि की अनुमन्यता के परीक्षण हेतु समितिः–

प्रश्नगत प्रयोजन हेतु पात्रता एवं धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण अधिकतम 07 दिनों के भीतर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित निम्नवत् समिति द्वारा किया जायेगाः–

(क)– जिलाधिकारी–अध्यक्ष।
(ख)– मुख्य विकास अधिकारी–सदस्य सचिव।
(ग)– मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सदस्य।
(घ)– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक–सदस्य।
(च)– जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी (यथा–सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी आदि)।

(2)– संस्तुत चिकित्सालय/चिकित्सा संस्थान को भुगतान एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की दरों तथा ऐसे प्रोसीजर्स के लिये, जो एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में उपलब्ध न हो, एम्स में लागू दरों से अधिक न होंगे।

(3)– विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के सम्बन्धित मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जा सकेगी, आर्थिक सहायता अनावर्तक प्रकृति की होगी।

(4)– ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी वार्षिक आय रू0 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) की सीमा तक है, को उक्त निधि से आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।

(5)– पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना होगा कि वर्णित प्रयोजन हेतु उक्त व्यक्ति को किसी अन्य स्रोत यथा–मा0 मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है, ताकि किसी प्रकार की पुनरावृत्ति (Duplicacy) न होने पाये।

(6)– जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ पात्र पाये गये व्यक्तियों के मामले में समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुये सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सहायता हेतु उपयुक्त धनराशि सम्बन्धित चिकित्सालय/संस्थान को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। निधि से धनराशि यदि किसी चिकित्सालय/संस्थान को उपलब्ध कराने के उपरान्त धनराशि व्यय नहीं हो पाती है अर्थात अवशेष रह जाती है, तो अवशेष धनराशि सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को सम्बन्धित चिकित्सालय/संस्थान द्वारा वापस की जायेगी। इस निधि से उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित चिकित्सालय/संस्थान द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में छमाही रूप से दो किश्तों में सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(7)– उक्त निधि से सहायता पात्र व्यक्तियों को इस प्रकार दी जायेगी कि किसी व्यक्ति को इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि को सम्मिलित करते हुये इसकी अधिकतम सीमा रू0 5,00,000/–(रूपये पॉच लाख मात्र) से अधिक न हो।

2– प्रश्नगत प्रयोजन हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किये गये प्राविधान भी लागू होंगे।

3– कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकांड व आसाध्य रोगों के चिकित्सीय उपचार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु उपरोक्त प्राविधानों के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

/

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

–3/

संख्या– 30 (1)/अड़तीस–9–2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4– प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद उत्तर प्रदेश।
6– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा।
7– निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद।
8– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10– अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11– समस्त ज़िलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1
14– नियोजन अनुभाग–3/ग्राम्य विकास अनुभाग–3।
15– गार्डबुक।

आज्ञा से,

(बी0प्री0 सिंह)
अनु सचिव।

असाध्य रोगों तथा जॉच के विवरण की सूची– (संलग्नक–1)

1. हृदय रोग व हृदय शल्य चिकित्साः–
   - पेसमेकर्स
   - डिसपोजेबल फॉर इन्टरनेशनल प्रोसिजर्स जिसमें
     - ❖ टी0एम0टी0
     - ❖ इकोकार्डियोग्राफी
     - ❖ एन्जियोप्लोस्टी
     - ❖ एथीरेक्टोमी
   - जन्मजात हृदय रोगों की शल्य चिकित्सा
   - एक्वांयर्ड हृदय रोग
   - वेस्कुलर सर्जरी एटन्टस हेतु ग्राफ
   - हृदय प्रत्यारोपण
2. कैन्सरः–
   - रेडियेशन उपचार
   - एण्टी कैन्सर कीमोथैरपी
   - कैंसर के उपचार से सम्बन्धित सर्जरी
3. गुर्दा व मूत्र रोगः–
   - डायलिसिस तथा इसके काम आने वाले कज्यूमेंबिल गुड्स
   - डायलिसिस हेतु वैस्कुलरशण्ट
   - पी0सी0एन0 व पी0सी0ए0एल0 किट्स
   - लिथोट्रिप्सी
   - एण्डोस्कोपिक सर्जिकल प्रोसिजर हेतु डिस्पोजेबल स्टेन्ट्स
   - गुर्दा व लीवर प्रत्यारोपण
4. अस्थि रोगः–
   - आर्टीफिशियल प्रोस्थेसिस फार लिम्स
   - कूल्हे व घुटने के जोड़
   - रीप्लेसमेंट हेतु इम्प्लाइन्ट
   - एक्सटर्नल फिक्सेटर
   - हड्डियों की बीमारिया
   - फैक्चर्स में काम आने वाले ए0ओ0 इम्प्लान्ट्स
5. थैलेसीमियाः–
   - थैलेसीमिया रोग के उपचार हेतु दवाईयां तथा मैकेनिकल इम्प्यूजन पम्प
   - ब्लड ट्रान्सफ्यूजन
   - बोन–मैरो प्रत्यारोपण

उपरोक्त रोगों के अलावा अन्य बीमारियों, जिनकी सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा गम्भीर व असाध्य रोग प्रमाणित किया जाय।

Rajkore UO